

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(408/37)2020-एफसीए/प्रमुखसं/

108

दिनांक 10-1-24

विशेषाधिकारी,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय:-Diversion of 0.1325 ha. of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground OFC along the road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road) District-Chittorgarh & Udaipur, (Raj.)
(Proposal No. FP/RJ/OFC/45721/2020)

संदर्भ:-राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प. 1(85)वन/2021 दि. 15.11.2021

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.स.	आक्षेप	सूचना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	यूजर एजेन्सी की इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	यूजर एजेन्सी की इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प न हीं लगाया जावेगा।	यूजर एजेन्सी की इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/कैरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	यूजर एजेन्सी की इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	यूजर एजेन्सी की इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	यूजर एजेन्सी की इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	FRA प्रमाण पत्र मय संलग्नक संलग्न कर दिया गया है।
9.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं	यूजर एजेन्सी की इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

	पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	
10.	भारतसरकार के पत्रांक 7-23/2012 /एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	समाचार पत्र की प्रति संलग्न कर दी गई है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(408/37)2020/एफसीए/प्रमुखसं/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

दिनांक

1. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर
2. उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़
3. दिनेश इंजीनियर्स, लिमिटेड डी.ई.पी.एल हाउस, नेबरहुड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-4, नेरूल (पश्चिम), नवी मुम्बई, जिला मुंबई सिटी (महाराष्ट्र)

(दिनेश कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no. 0294-2418137

क्रमांक एफ 5 (98/OFC)/एफसीए./मुवसं/2023-24/ 4040 दिनांक :- 10/7/2023
निमित्त,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.1325 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers
ltd. For Laying fo Underground OFC along the road within the
existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi
Sadri- Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, (Raj)
(Proposal No.FP/RJ/OFC/45721/2020)

संदर्भ :- राज्य सरकार, वन विभाग के पत्र दिनांक पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनांक
15.11.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से आलौच्य प्रकरण में राज्य सरकार, वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार पालाना रिपोर्ट चाही
गई है, के परिप्रेक्ष्य में उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा उनके पत्रांक 2006 दिनांक 29.03.2023 एवं
3164 दिनांक 31.05.2023 से बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित की गई
है। उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ से प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट इस कार्यालय की सहमति के साथ आवश्यक
कार्यवाही हेतु मूल ही दो प्रतियों में संलग्न भिजवाई जा रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।(मूल अनुपालना रिपोर्ट 2 प्रतियों में)

भवदीय,

(आर.के.सिंह)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

दिनांक :-

क्रमांक एफ 5 (98/OFC)/एफसीए./मुवसं/2023-24/

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ को उनके पत्रांक 2006 दिनांक 29.03.2023 एवं 3164 दिनांक 31.05.
2023 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि जब तक उक्त प्रकरण में सक्षम स्तर से स्वीकृति न मिले
तब तक वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैरवानिकी कार्य न हो यह भी सुनिश्चित करें।
- 2- दिनेश इंजीनियर्स, लिमिटेड डी.ई.पी.एल हाउस, नेबरहुड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-4, नेरूल
(पश्चिम), नवी मुंबई, जिला मुंबई सिटी (महाराष्ट्र)।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Rajkumar Singh-
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.07.07 15:57:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4224142



कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

Tele-01478-294141 E-Mail ID dcfptg123@gmail.com / dcf.pratpgh.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक / एफ 0 / तक. / उद्यसं / 2020-21 / 3164

दिनांक 31/5/2021

2023

मुख्य वन संरक्षक,

उदयपुर।

विषय:- : Laying of Underground OFC along the road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri - Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, (Raj.).

(Online proposal number - RJ/OFC/45721/2020)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 3233 दिनांक 24.05.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत अनुपालना रिपोर्ट के साथ संलग्न अण्डरटेकिंग प्रमाण पत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता के प्रति हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। अतः मूल ही अनुपालना रिपोर्ट कार्यालय आपमें अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(सुनील कुमार, भा.व.सं.)

उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

Signature valid

Digitally signed by Sunil Kumar Thalor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest

Date: 2023.05.31 13:36:34 IST

Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़

क्रमांक:- एफ.()/तक./उवसं/2020-21/2006

दिनांक 29/3/2023

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय:- Laying of Underground OFC along the road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri - Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, (Raj.) (Online Proposal No.- FP/RJ/OFC/45721/2020)

सन्दर्भ:-राज्य सरकार वन विभाग का पत्रांक प.1 (85)वन/2021 दिनांक 15.11.2021 एवं यूजर एजेन्सी दिने । इंजिनियरिंग लिमिटेड का पत्रांक NIL दिनांक 15.03.2023 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि राज्य सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1 (85)वन/2021 दिनांक 15.11.2021 से आलौच्य प्रकरण में राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित भातों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में यूजर एजेन्सी द्वारा तैयार कर भिजवाई जा गई है जो श्रीमान के समक्ष अग्रिम एवं आव यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेशित है-

क्र.सं.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा जिसकी Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा जिसकी Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे जिसकी Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्पा नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्पा नहीं लगाया जावेगा जिसकी Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Kumar Thakor
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.03.29 15:50:21 IST
Reason: Approved

		ताकि निकटवर्ती वनों को बर्तन न हो जिसकी Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा जिसकी Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा जिसकी Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	जिला कलक्टर उद यपुर के द्वारा एफ. आर.ए. प्रमाण पत्र अपने पत्रांक 684-86 दिनांक 24.02.2023 से जारी कर दिया गया है जिसकी छाया प्रति संलग्न है।
9	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा जिसकी Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
10	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	समाचार पत्र की प्रति संलग्न कर दी गई है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार (3 प्रति में)

भवदीय

(सुनील कुमार भा.व.से.)

उप वन संरक्षक,

प्रतापगढ़

Signature valid

Digitally signed by Sunil Kumar Thakor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest

Date: 2023.03.29 13:50:21 IST

Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

Tele-01478-294141 E-Mail ID dcfptg123@gmail.com / dcf.pratpgh.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक / एफ 0 / तक. / उवसं / 2023 / 6669

दिनांक 08/12 / 2023

निमित्त,
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

विषय:- : Laying of Underground OFC along the road within the existing ROW from KMS - 0/0
to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri - Tekan Road) District - Chittorgarh &
Udaipur, (Raj.). (Online proposal number - /RJ/OFC/45721/2020)

संदर्भ:- : आप कार्यालय का पत्रांक 6854-55 दिनांक 25.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आप द्वारा प्रस्ताव पर लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति यूजर एजेंसी द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.10.2023 (प्रति संलग्न) से प्रस्तुत कि गई हैं, जो श्रीमान के समक्ष उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हरिकिशन सारस्वत, I.F.S.)

उप वन संरक्षक,

प्रतापगढ़

क्रमांक / एफ 0 / तक. / उवसं / 2023 /

दिनांक / / 2023

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर कि सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

Signature valid

RajKaj Ref
5108173



Digitally signed by Hari Kishan Saraswat
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.11.30 14:25:50 IST
Reason: Approved



FORM 1
(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District collector UDAIPUR

No. F.39/1()Rev/FRA/2023/ 684-86

Date - 24.02.2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence of having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA) for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5 February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It has been certified that a total area 0.1325 Hectares of forest land is proposed to be diverted in favor of Dinesh Engineers Limited Udaipur laying of Underground optical fiber cable for village gujro ka guda, fusariya sub division Lasadiya District udaipur (purpose for diversion of forest land) for laying optical fiber cable in line comes under the jurisdiction of village gujro ka guda, fusariya Lasadiya Tehsil.

It is further certified that: -

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.1325 Hectares of forest area proposed from the from gram panchayat Balicha, dhikiya.
- (b) A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub-Division Level committee (s) and the district level committee are enclosed as annexure.
- (c) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (d) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.

Encl:- As above

1
(Tara Chand Meena)
District Collector,
Udaipur

Copy forward to-

- ✓ D.C.F. Udaipur/ *pratap*
2. S.D.M. Lasadiya.
3. Dinesh Engineers Limited.udaipur.

2
District Collector,
Udaipur

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

—: बैठक कार्यवाही विवरण :-

मेसर्स दिनेश इंजिनियरिंग लिमिटेड, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर द्वारा जिले के उपखण्ड क्षेत्र झाडोल, गोगुन्दा, ऋषभदेव एवं लसाडिया में 0.1325 हे०, 0.3645 हे० एवं 0.6275 हे० वन भूमि में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने के संबंध में आज दिनांक 30.01.2023 को जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

उक्त उपखण्ड क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के संबंध में ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत सभी सदस्यों ने प्रकरण का वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि प्रस्तावित वन भूमि के अधीन कोई व्यक्तिगत वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में वन क्षेत्र में कोई व्यक्तिगत दावा विचाराधीन है। तदनुसार उपखण्ड गोगुन्दा, झाडोल, ऋषभदेव एवं लसाडिया में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

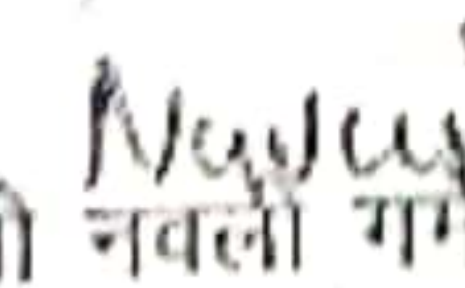
क्र. सं.	कार्य का नाम	उपखण्ड का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं.	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि	वन अधिकार पत्र जारी/ दावा स्वीकृत/ विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1	अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन	गोगुन्दा	पडावलीकला (अनसेटल्ड)	पडावली कला	-	नहीं	ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित ग्राम सभा की सूची संलग्न एवं सम्बंधित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक विवरण
2		झाडोल	भवरिया, 477, 478, 479, 01 उपरेटा 4, 5, 6, 10	उपरेटा	-	नहीं	
3		ऋषभदेव	दामातालाब 1646, 1664, 1679, 1988/1664 जलपका 1303, 1364, 1828/910, 1808, 836 आम्बा उम्बरिया 325, 327, 329, 366, 374 गणवन कांकण 1032, 2473	गणावन कोजावाडा	-	नहीं	
4		लसाडिया	गुजरो का गुडा 265/1 फूसरिया 356, 658, 609, 619	बलीचा डिकिया	-	नहीं	

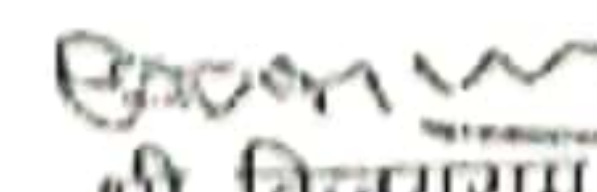

उप वन संरक्षक,
उदयपुर

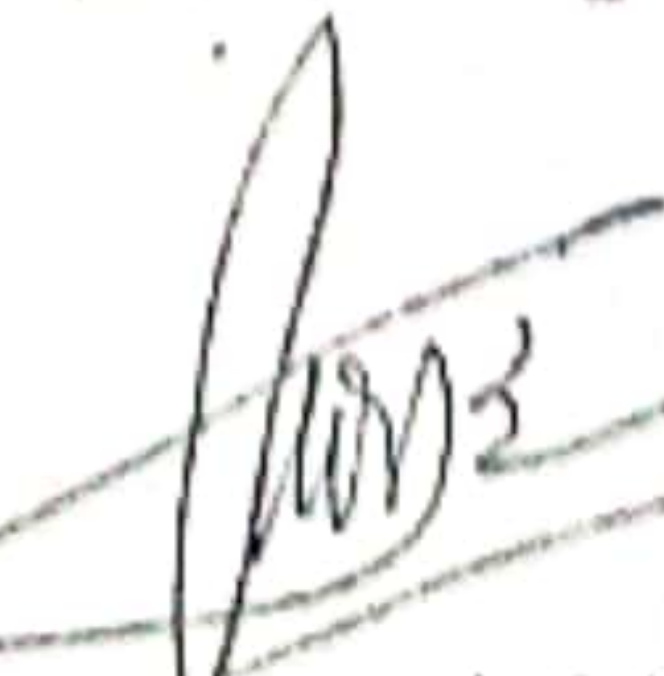

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी
अधिकारी,
जिला परिषद,
उदयपुर


उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास
विभाग, उदयपुर


जिला कलक्टर,
उदयपुर


श्रीमती नवली गमेती,
जिला परिषद सदस्य,
उदयपुर


श्री विजयराम,
जिला परिषद सदस्य,
उदयपुर


(श्री पुष्कर तेली)
उप जिला प्रमुख, जिला
परिषद, उदयपुर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)

E-mail : sdolasadiya012@gmail.com

क्रमांक राजस्व/वअ/2022/२५७३

दिनांक : २३.०९.२०२२

प्रेषिति:-

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,

उदयपुर।

विषय:- मैसर्स दिनेश ईंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईचर लाईन बिछनो हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियत 2006 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- श्रीमान् के पत्र क्रमांक प.39/1()राज./गै.व.प्र./2021/1789 दिनांक 01.06.2022 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि मैसर्स दिनेश ईंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईचर लाईन बिछनो हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियत 2006 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव तैयार कर मूल ही इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
लसाड़िया जिला उदयपुर (राज.)

प्रमाण पत्र

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.इ.एफ) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-9/98 एफसी (पिटी) दिनांक 3 अगस्त 2009, जिसमें की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.इ.एफ) द्वारा वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (एम.ओ.इ.एफ) के तहत वन अधिकार के निपटान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर, निपटान की प्रक्रिया पूर्ण होने के साक्ष्य प्रस्तुत करने की दिशा में यह प्रमाणित किया जाता है। कि उदयपुर जिले की लसाडिया तहसील के बलीचा से जूजपुरा वन भूमि सड़क बनाने हेतु गैर वन के लिए प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

1. तहसील लसाडिया के ग्राम बलीचा व ढिकीया में वन भूमि जो कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। के लिए वनाधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों की पहचान और निस्तारण के लिए पुरी प्रक्रिया अपनाई गई है। जिसके अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत बलीचा एवं ढिकीया द्वारा भूमि प्रत्यावर्तन का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। (संलग्न ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति एवं सरपंच ग्राम पंचायत बलीचा व ढिकीया से प्राप्त प्रमाण पत्र)
2. उपर्युक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तहसील लसाडिया की ग्राम पंचायतों में (पूर्ण परियोजना के विवरण और उसके प्रभाव के साथ स्थानीय भाषा में) एफ.आर.ए. की प्रासंगिकता के तहत पात्र, वनवासियों से संबंधित ग्राम सभा में रखा गया है तथा ग्राम पंचायत बलीचा व ढिकीया की ग्राम सभा द्वारा भूमि को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।
3. तहसील लसाडिया से संबंधित ग्राम सभा ने प्रासंगिकता के तहत सभी औपचारिकताएँ/प्रक्रियाओं के अपनाते हुए प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के उद्देश्यों को विस्तृत रूप से समझकर विकास और मुआवजा (यदी कोई हो) के उपाय करने एवं प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के लिए अपनी सहमति दे दी है। एवं प्रमाणित किया है।
4. तहसील लसाडिया में ग्राम पंचायत बलीचा व ढिकीया में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर पूर्ण कोरम होने के पश्चात् विधिवत् सर्वसम्पति से निर्णय लिया जाकर सशर्त अनापत्ति दी गई है।
5. वनाधिकार अधिनियम की धारा 3(2) के तहत जरूरी सरकार द्वारा प्रबन्धित सुविधाओं के लिए वन भूमि का प्रत्यावर्तन हो चुका है। और ग्राम पंचायत बलीचा व ढिकीया की ग्राम सभा ने यह करने की अपनी सहमति दे दी है।
6. लागू नहीं है।


उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-उदयपुर (राज.)

E-mail : sdolasadiya012@gmail.com

क्रमांक राजस्व/वअ/2022/2575

दिनांक : 23.09.2022

बैठक कार्यवाही विवरण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर द्वारा राजस्व ग्राम बलीचा पंचायत बलीचा तहसील लसाडिया जिला उदयपुर में बलीचा से झुजपुरा ग्राम पंचायत बलीचा एवं ढिकीया तक अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल लाईन बिछाने का कार्य हेतु वन भूमि के संबंध में आज दिनांक 20.09.2022 को उपखण्ड स्तरिय समिति की बैठक आयोजित की गई है।

उक्त सड़क निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के संबंध में ग्राम सभा एवं वन अधिकार समिति द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है। और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है। तदनुसार बलीचा से झुजपुरा सड़क निर्माण हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषा की जाती है।

क्र. स.	कार्य का नाम	लोकेशन	राजस्व ग्राम का नाम, आराजी न0 एवं वनखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि (हे0)	वन अधिकार पत्र जारी / दावा स्वीकृत / विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बलीचा से झुजपुरा तक फाइबर ऑप्टिकल लाईन बिछाने का कार्य	वन क्षेत्र में जा रही सड़क के 1 मीटर के दामरे में	-	बलीचा एवं ढिकीया		नही	ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सभा दि. 15.08.2022

क्षेत्रीय वन अधिकारी
(शान्ति लाल खटीक)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
प्रथम श्रेणी-बान्सी (प्रतापगढ़)
20/9/22
(पं.स. सदस्य)

विकास अधिकारी
पंचायत समिति लसाडिया

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला उदयपुर

(पं.स. सदस्य)

सदस्य



कार्यालय ग्राम पंचायत, बलीचा

पंचायत समिति लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)

प्रेषक :-

सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बलीचा
पं.स. लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)



सेवामें, श्रीमान् श्रीमान् उपखंड अधिकारी
लसाड़िया जि. उदयपुर (राज.)

दिनांक :- 15/08/2022

क्रमांक :-

प्रस्ताव 1

विषय : मैसर्स दिनेश इंजीनियरिंग को अंडर ग्राउंड 1 ऑफिसियल फाइबर लाइन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाती और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत भूमि के प्रत्यय वतन के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि हमारी ग्राम पंचायत द्वारा मैसर्स दिनेश इंजीनियरिंग को OFC केवल डालने हेतु ग्राम सभा में नियमानुसार प्रस्ताव लिया गया है जिसमें दोड़ से 1 मीटर की दूरी पर रोड किनारे OFC केवल डालने का प्रस्ताव लिया गया है जिसमें खलीन्हा से धुजपुरा रोड की तरफ वन क्षेत्र हमारी पंचायत परिया में किसी प्रकार का अनुसूचित जनजाती क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है अतः NOC प्रदान की जाती है एवम अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी सेवामें प्रस्तुत है।

ग्राम पंचायत, बलीचा
पं.स. लसाड़िया, जि. उदयपुर

—इस—
(श्रवण कुमार मीणा)
सरपंच

ग्राम पंचायत, बलीचा
पं.स. लसाड़िया, जिला-उदयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत, ठिकिया

पं.स. लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)

सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ठिकिया
पं.स. लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)



सेवामें,
श्रीमान श्रीमान उमर वेड अधिकारी
लसाड़िया जि. उदयपुर (राज.)

क्रमांक:- ग्रा.पं. ठिकिया / /20 -20

दिनांक:- 15/08/22

प्रस्ताव 2021-22 -/36

विषय:- मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अंडर ग्राउंड
ऑफ्टिकल फाइबर लाइन बिछाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी
अधिनिग्रह 2066 के तहत भूमि से उत्तम वतन के
सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि हमारी पंचायत
द्वारा मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को OFC केबल
डालने हेतु ग्रामसभा में निम्नानुसार प्रस्ताव लिखा गया
है जिसमें रोड से 1 मीटर की दूरी पर रोड किनारे OFC
केबल डालने का प्रस्ताव लिखा गया है। जिसमें बलीचा से
जुजपुरा रोड की तरफ वन क्षेत्र हमारी पंचायत हरिया
में किसी प्रकार का अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उद्घाटित नहीं
हो रहा है। अतः NDC उद्घाटन की जाती है। एवं जाग्रत-भागी
हेतु आपकी सेवा में प्रस्तुत है।

सुरेश अधिकारी
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ठिकिया
पं.स. लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)

(सुरेश अधिकारी)
सरपंच
ग्राम पंचायत, ठिकिया
पं.स. लसाड़िया (उदयपुर)

अ.प. अधिकारी

ग्राम सभा

दि. 15/8/2022

आज दिनांक. 15/8/2022 को श्रीमान आशि. मुख्य -
कार्यकारी अधिकारी भले. जिला परिषद, उदमपुर के पत्र
क्रमांक - एक (1) बिपड/ग्राम सभा/पंचायत/2022-23/62-4

दिनांक. 8/8/2022 की अनुमोदना में भारत निर्माण
राजीव गांधी सेवा केन्द्र - दिवस पर ग्राम सभा का
आयोजन किया गया ग्राम सभा की कार्यवाही प्रतः
10:00 बजे प्रारम्भ की गई ग्राम सभा की अध्यक्षता
सरपंच श्री पुनमचन्द्र मीणा ने की ग्राम सभा में निम्न
अनपतिविधि। अधिकारी। कार्यकारी उपस्थित हुए
ग्राम सभा में निम्न प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिए गए

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
--------	-----	----	-----------

1			
2	श्री पुनमचन्द्र मीणा	सरपंच	
3	उदमलाल मीणा	क. स.	
4	रामा सिंह	पंचायत सहायक	
5	चक्रपाराम मीणा	वाडे पंच	

6

7

8

प्रस्ताव सं. 1. ग्राम सभा में सर्वप्रथम गत ग्राम सभा
की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया तथा
उसका अनुमोदन सर्वसम्मति से किया
गया।

पुस्तक सं. २. ग्राम सभा में उपस्थित नागरिकों को नीचे मान
उपरवर्त अधिकारी मले. लसाइमा जिला उद्यमर

पत्र क्रमांक - राजस्व/२०२२/२२३६ दिनांक २७.७.२०२२ को

पत्र क्रमांक सुनामा २२३६/२०२२ उपस्थित नागरिकों द्वारा
अनायास रामा नि मससि विनिमयिग को

अवरु ग्राउंड ऑफीसल फाईचर लारिन वि छाने देलु

पंचायत की चारागाह भूमि में अगर उबल कार्य

किमा जावे तो ग्रा.प. विनिमय को कोई आपत्ति

नही है अतः उक्त पुस्तक ग्राम सभा द्वारा

स्वीकृति से लिमा गमा

June
सुरेण अधिकारी
ग्राम विकास अधिकारी
प.स. तलाहिया, जिला-जयपुर (रा.)

2/11/17
पूजा चन्द मीणा
समय
मा.पं. दिव्या
प.स. तलाहिया, जिला-जयपुर

धनराज

रेखा

हरिहर

कजोड़ माछ

रहे

देवा

Gopal

शान्तिनाथ

पदमा

श्री कन
देवीनाथ
8/1/18

पुष्पा नाथ

5 May

आफ दिनांक 15.8.2022 को भारत निर्माण सप्ताह की सेवा केन्द्र बलीवा पर सरपंच जी अमन कुमार जी का अध्यक्षता में शाह समा का आयोजन किया गया।

(अमन कुमार जी का)
सरपंच
ग्राम पंचायत, बलीवा
प.स.-लसाडिया, जिला-उदयपुर

उक्त शाह समा कायल्प निर्माण विभाग के अध्यक्ष (प.स.-लसाडिया) शाह समा / पंचायत / 2022-23 / 624/8.8.2022 की अध्यापना में की गई जिसके अंतर्गत उक्त शाह समा में चल रही विमादी एवं हरदल उक्त मंगले सम्बन्धी शाह समा में चर्चा की गई।

प्रस्ताव सं. 01 - शाह समा द्वारा मेसर्स दिनेश इन्जीनियरिंग को OFC केवल डालने हेतु शाह समा में विमादुसार प्रस्ताव विभाग जिसके अंतर्गत रोड से 1 मीटर की दूरी पर रोड किनारे OFC केवल डालने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया।

प्रस्ताव सं. 2 - शाह समा द्वारा राज्य में चल रही पशुओं के विमादी की रोकथाम एवं उस विमादी के लक्षण पर चर्चा की गई एवं टीकाकरण के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।

प्रस्ताव सं. 3 - शाह समा द्वारा शाह पंचायत के अंतर्गत बने हुए पुद्गलमन्दी आवास योजना अंतर्गत सम्बन्धित लाभार्थियों को कार्य पूर्ण करने एवं शत प्रतिशत आवास पूर्ण करने के लिए एक नोटिस जारी करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया। जो आवास अपारम्भ है उक्त नोटिस देकर कार्य शुरू कराने पर सहमति दी गई।

(अमन कुमार जी का)
सरपंच
ग्राम पंचायत, बलीवा
प.स.-लसाडिया, जिला-उदयपुर

उकार

गोविन्द

निन्दिता

निन्दिता

निन्दिता

वार्डपंच

देवर्षी

लोगट

लजा

वार्डपंच

निन्दिता

मुकेश

नारण

निन्दिता

धन्ना

धरमा

केशा

प्रकारा

मोहन

निन्दिता

पपु

निन्दिता

निन्दिता

सेवा में

जीमान लक्ष्मीलाल आ.
लक्ष्मी (होम)

विषय - वर क्षेत्र में भूमिगत औद्योगिक कारखाने केवल
विद्यार्थी एल. एफ. आर. ए. उमान-पत्र जारी
करने के काम में।

उपसंग - जीमान की ओर का नाम : राजारव / जाल / २००० / ५४२१
दिनांक ११/५/२००० की फाइल में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयानुसार आपकी पत्र मूल ही पर्याप्त
परकारी एल. एफ. आर. ए. उमान के वर क्षेत्र में
जा रही अथवा के क्षेत्र में भूमिगत औद्योगिक
कारखाने केवल विद्यार्थी एल. एफ. आर. ए. उमान पत्र जारी
कारिवाहियों के लिए उमान के ही हो रहे हैं।
अतः विद्यार्थी जीमान की सेवा में कारिवाहों को जारी
करा है।


उपसंग
ए. व. मण्डल, लक्ष्मी
लक्ष्मी (होम)

12/5/2000
लक्ष्मी (होम)
लक्ष्मी (होम)

दिनेश इन्जिनियर्स लिमिटेड

सेवामें,

15/03/2023

उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़।



विषय:- Diversion of 0.1325 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020

सन्दर्भ:-राज्य सरकार का पत्रांक प.1 (85)वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के सम्बन्ध में।

महोदय,

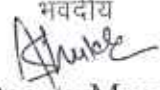
उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि राज्य सरकार का पत्रांक प.1 (85)वन/2021 दिनांक 15.11.2021 से आलौच्य प्रकरण में राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर भिजवाई जा रही है।

क्र.सं.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्पा नहीं लगाया जावेगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ	एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र संलग्न कर

FCA
15/3/23

	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवर्त स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	दिया गया है।
2	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
10	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	समाचार पत्र की प्रति संलग्न कर दी गई है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार (4 प्रति में)

भवदीय

 Deputy Manager
 Dinesh Engineers Limited





राजस्थान RAJASTHAN



Affidavit

BM 537841

Project Name: - Division of 0.1325 ha. of forst land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri - Tekan Road) District -Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan

Proposal No.:- FP/RJ/OFC/45721/2020

Applied Area:- 0.1325 Ha

मनके आशुतोष शुक्ला शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1. यह है कि मिकर एक भारतीय नागरिक है।
2. यह है कि मिकर दिनेश इन्जीनियर्स लिमिटेड का अंटानी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।



Shukla

Page 1 of 3

सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

(भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा. इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमत है।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
10. यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
11. उक्त बिन्दु की पालना के क्रम में वनाधिकार अधिनियम के तहत वांछित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न कर दी गई है।



C.S.
सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

12. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

13. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय



Ashutosh
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited



Sworn before me & Admitted
The contents to be True.

Alka Joshi
(SMT. ALKA JOSHI)
Reg. No. 1077
NOTARY, Udaipur (Raj.)

11/3/23

C.S.
सुनील कुमार (भा. व. से.)
संय वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

Office of the District collector UDAIPUR

No. F.39/1()Rev/FRA/2023/ 684-86

Date: - 24.02.2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence of having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006(FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF's letter dated 5 February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It has been certified that a total area 0.1325 Hectares of forest land is proposed to be diverted in favor of Dinesh Engineers Limited Udaipur laying of Underground optical fiber cable for village gujro ka guda , fusariya sub division Lasadiya District udaipur (purpose for diversion of forest land) for laying optical fiber cable in line comes under the jurisdiction of village gujro ka guda, fusariya Lasadiya Tehsil.

It is further certified that: -

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.1325 Hectares of forest area proposed from the from gram panchayat Balicha, dhikiya.
- (b) A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub-Division Level committee (s) and the district level committee are enclosed as annexure.
- (c) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (d) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.

Encl:- As above

(Tara Chand Meena)
District Collector,
Udaipur

Copy forward to-

- ✓ D.C.F. Udaipur/ *Portagach* .
2. S.D.M. Lasadiya.
3. Dinesh Engineers Limited.udaipur .

Z
District Collector,
Udaipur

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)

E-mail : sdolasadiya012@gmail.com

क्रमांक राजस्व/वअ/2022/२५७३

दिनांक : २३.०९.२०२२

प्रेषित:-

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,

उदयपुर।

विषय:- मैसर्स दिनेश ईजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछनो हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियत 2006 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- श्रीमान् के पत्र क्रमांक प.39/1()राज./गै.व.प्र./2021/1789 दिनांक 01.06.2022 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि मैसर्स दिनेश ईजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछनो हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियत 2006 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव तैयार कर मूल ही इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


उपखण्ड अधिकारी
लसाड़िया जिला उदयपुर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-उदयपुर (राज.)

E-mail : sdolasadiya012@gmail.com

क्रमांक राजस्व/वअ/2022/2574

दिनांक : 23.09.2022

प्रमाण पत्र

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.इ.एफ) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-9/98 एफसी (पिटी) दिनांक 3 अगस्त 2009, जिसमें की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.इ.एफ) द्वारा वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (एम.ओ.इ.एफ) के तहत वन अधिकार के निपटान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर, निपटान की प्रक्रिया पूर्ण होने के साक्ष्य प्रस्तुत करने की दिशा में यह प्रमाणित किया जाता है। कि उदयपुर जिले की लसाडिया तहसील के बलीचा से जूजपुरा वन भूमि सड़क बनाने हेतु गैर वन के लिए प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

1. तहसील लसाडिया के ग्राम बलीचा व ढिकीया में वन भूमि जो कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। के लिए वनाधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों की पहचान और निस्तारण के लिए पुरी प्रक्रिया अपनाई गई है। जिसके अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत बलीचा एवं ढिकीया द्वारा भूमि प्रत्यावर्तन का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। (संलग्न ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति एवं सरपंच ग्राम पंचायत बलीचा व ढिकीया से प्राप्त प्रमाण पत्र)
2. उपर्युक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तहसील लसाडिया की ग्राम पंचायतों में (पूर्ण परियोजना के विवरण और उसके प्रभाव के साथ स्थानीय भाषा में) एफ.आर.ए. की प्रासंगिकता के तहत पात्र, वनवासियों से संबंधित ग्राम सभा में रखा गया है तथा ग्राम पंचायत बलीचा व ढिकीया की ग्राम सभा द्वारा भूमि को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।
3. तहसील लसाडिया से संबंधित ग्राम सभा ने प्रासंगिकता के तहत सभी औपचारिकताएँ/प्रक्रियाओं के अपनाते हुए प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के उद्देश्यों को विस्तृत रूप से समझकर विकास और मुआवजा (यदी कोई हो) के उपाय करने एवं प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के लिए अपनी सहमति दे दी है। एवं प्रमाणित किया है।
4. तहसील लसाडिया में ग्राम पंचायत बलीचा व ढिकीया में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर पूर्ण कोरम होने के पश्चात् विधिवत् सर्वसम्पति से निर्णय लिया जाकर सशर्त अनापत्ति दी गई है।
5. वनाधिकार अधिनियम की धारा 3(2) के तहत जरूरी सरकार द्वारा प्रबन्धित सुविधाओं के लिए वन भूमि का प्रत्यावर्तन हो चुका है। और ग्राम पंचायत बलीचा व ढिकीया की ग्राम सभा ने यह करने की अपनी सहमति दे दी है।
6. लागु नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-उदयपुर (राज.)

E-mail : sdolasadiya012@gmail.com

क्रमांक राजस्व/वअ/2022/2575

दिनांक : 23.09.2022

बैठक कार्यवाही विवरण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर द्वारा राजस्व ग्राम बलीचा पंचायत बलीचा तहसील लसाडिया जिला उदयपुर में बलीचा से झुजपुरा ग्राम पंचायत बलीचा एवं ढिकीया तक अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल लाईन बिछाने का कार्य हेतु वन भूमि के संबंध में आज दिनांक 20.09.2022 को उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई है।

उक्त सड़क निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के संबंध में ग्राम सभा एवं वन अधिकार समिति द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं सशोधित नियम 2012 के तहत कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है। और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है। तदनुसार बलीचा से झुजपुरा सड़क निर्माण हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषा की जाती है।

क्र. स.	कार्य का नाम	लोकेशन	राजस्व ग्राम का नाम, आराजी न0 एवं वनखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि (हे0)	वन अधिकार पत्र जारी/दावा स्वीकृत/विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बलीचा से झुजपुरा तक फॉर्स्टर ऑप्टिकल लाईन बिछाने का कार्य	वन क्षेत्र में जारी सड़क 1 मीटर के दायरे में	-	बलीचा एवं ढिकीया		नही	ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सभा दि. 15.08.2022

क्षेत्रीय वन अधिकारी
(शान्ति लाल खटीक)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
प्रथम श्रेणी-बान्सी (प्रतापगढ़)

(पं.स. सदस्य)

विकास अधिकारी
पंचायत समिति लसाडिया

(पं.स. सदस्य)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला उदयपुर

सदस्य



कार्यालय ग्राम पंचायत, बलीचा

पंचायत समिति लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)

प्रेषक :- सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बलीचा
पं.स. लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)



सेवामें, श्रीमान् जीमान् उपखंड अधिकारी
लसाड़िया वि. उ. उदयपुर (राज.)

क्रमांक : प्रस्ताव 1

दिनांक :- 15/08/2022

विषय : मैसर्स ट्रिनेश इंजीनियरिंग को अंडर ग्राउंड 1 ऑफ्टिकल फाइबर लाइन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाती और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत श्रमिकें प्रत्यय वतन के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि हमारी ग्राम पंचायत द्वारा मैसर्स ट्रिनेश इंजीनियरिंग को OFC केवल डालने हेतु ग्राम सभा में नियमानुसार प्रस्ताव लिया गया है जिसमें रोड से 1 मीटर की दूरी पर रोड किनारे OFC केवल डालने का प्रस्ताव लिया गया है जिसमें खलीन्हा से धुजपुरा रोड की तरफ वन क्षेत्र हमारी पंचायत परिया में किसी प्रकार का अनुसूचित जनजाती क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है अतः NOC प्रदान की जाती है एवं श्रमिक कार्यवाही हेतु आपकी सेवामें प्रस्तुत है।

—इश्वर
(श्रवण कुमार मीणा)
सरपंच
ग्राम पंचायत, बलीचा
पं.स. लसाड़िया, जिला-उदयपुर

कायालय ग्राम पंचायत, ठिकिया

पं.स. लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)

सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत ठिकिया

पं.स. लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)



सेवामें,

श्रीमान श्रीमान उमरवेड अधिकारी

लसाड़िया जि. उदयपुर (राज.)

क्रमांक:- ग्रा.पं. ठिकिया / /20 -20

दिनांक:- 15/08/22

प्रस्ताव 2021-22 -/30

विषय:- मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अंडर ग्राउंड ऑफ्टिकल फाइबर लाइन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत भूमि से उत्पन्न वन के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि हमारी पंचायत द्वारा मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को OFC केबल डालने हेतु ग्रामसभा में निम्नानुसार प्रस्ताव लिया गया है जिसमें शेड से 1 मीटर की दूरी पर शेड किनारे OFC केबल डालने का प्रस्ताव लिया गया है। जिसमें बलीचा से जुजपुरा शेड की तरफ वन क्षेत्र हमारी पंचायत हरिया में किसी प्रकार का अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उन्नावित नहीं हो रहा है। अतः NOC उद्घाटन की जाती है। एवं मांगिभकारवाही हेतु आपकी सेवा में प्रस्तुत है।

सुरेश अहि

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत ठिकिया

पं.स. लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)

(सुरेश अहि)

सरपंच

ग्राम पंचायत, ठिकिया

पं.स. लसाड़िया (उदयपुर)

उदयपुर ठिकिया

ग्राम सभा

अ. 15/8/2022

आज दिनांक-15/8/2022 को श्रीमान श्री. मुख्य-
कार्यकारी अधिकारी भोज. जिला परिषद, उदयपुर ने पत्र
क्रमांक - एक (1) बिपड/ग्राम सभा/पंचायत/2021-23/624
दिनांक- 5/8/2022 की अनुमोदना में भारत निर्माण
राष्ट्रीय गांधी सेवा केन्द्र - दिक्षिमा पर ग्राम सभा का
आयोजन किया गया ग्राम सभा की कार्यवाही प्रति
10:00 बजे प्रारम्भ की गई ग्राम सभा की अध्यक्षता
शरपंच श्री पुनमचन्द्र भीगा ने की ग्राम सभा में निम्न
अन्यतिथि। अधिकारी। कार्यकारी उपस्थित हुए
ग्राम सभा में निम्न प्रस्ताव सर्वसम्मति से निर्णयित

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
--------	-----	----	-----------

1

2	श्री पुनमचन्द्र भीगा	शरपंच	
---	----------------------	-------	--

3	उदयलाल भीगा	क. स.	
---	-------------	-------	--

4	रामा सिंह	पंचायत सहायक	
---	-----------	--------------	--

5	चक्रधराम भीगा	वाडे पंच	
---	---------------	----------	--

6

7

8

प्रस्ताव सं. 1. ग्राम सभा में सर्वप्रथम गत ग्राम सभा
की कार्यवाही को पढ़कर खुनामा गमा तथा
उसका अनुमोदन सर्वसम्मति से किया
गया।

सुभाष चंद्र बोस
१९४३

150	21616	2022	27.7.2022
-----	-------	------	-----------

$\frac{29644}{551111} = 2.4444444444444444$
 $\frac{29644}{341122} = 2.1111111111111111$
 $\frac{29644}{511111} = 2.1111111111111111$
 $\frac{29644}{511111} = 2.1111111111111111$

अनिष्टा निशान

31057 2) 1365 3412 | 749 51247 3127 78511-7 222

पंचायत की चारों तरफ से आने वाले लोग

$\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m}$

[illegible]

819 142417 212417

June
सुरेण अडीर
पान विभाग अधिकाारी
प.स. तलाहिया, जिला-अवधपुर

2/11/17
पूज्य पंडित श्री
सुरेण अडीर
सा.पं. विभाग
प.स. तलाहिया, जिला-अवधपुर

2/11/17

रक्षा

हरिद्वार

1/11/17
कल्याण

रक्षा

देवा

गोपाल

आमिताभ

पुष्पा

देवीलाल
श्रीलाल
पुष्पा



समाप्त



आफ दिनांक 15.8.2022 को भारत निर्माण सप्ताहों की शुरुआत के रूप में देश में सरकारी कर्मियों को आराम की छुट्टी के साथ आराम का आयोजन किया गया।

भारत निर्माण सप्ताह
15.8.2022 - 22.8.2022
पञ्च-संस्कार, विना-परिवार

उक्त आराम सप्ताह का आयोजन विभागाध्यक्ष, उद्योग विभाग के प्रमुख (एन.टी. वि. प्र. वि.) आराम सप्ताह / पत्राचार / 2022-23 / 134/88 2022 की अनुपालना में की गई जिसके अन्तर्गत उद्योग विभाग के पञ्चमों में शामिल विभागी एवं हरद्वार के उद्योग के सम्बन्धी आराम सप्ताह में शामिल की गई।

प्रस्ताव सं. 01 - आराम सप्ताह के सभी दिवस इन्टीग्रिटी के OFC केवल डालने के आराम सप्ताह में जिम्माभार उद्योग विभाग के अन्तर्गत रहे। कीट की छुट्टी पर रहे किन्तु OFC केवल डालने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से विभागाध्यक्ष

प्रस्ताव सं. 2 - आराम सप्ताह के सभी दिवस पञ्चमों में विभागी की रोकथात एवं उस विभागी के लक्ष्य पर चर्चा की गई एवं हीनकरण के सम्बन्ध में जानकारी दी गई

प्रस्ताव सं. 3 - आराम सप्ताह के आराम सप्ताह के अन्तर्गत उद्योग विभाग के आवागमन के अन्तर्गत उद्योग विभाग के कार्य पूर्ण करने एवं आराम सप्ताह के अन्तर्गत उद्योग विभाग के कार्य पूर्ण करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया। जो आराम सप्ताह के अन्तर्गत उद्योग विभाग के कार्य पूर्ण करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया।

भारत निर्माण सप्ताह
(भारत निर्माण सप्ताह)
पञ्च-संस्कार, विना-परिवार
पञ्च-संस्कार, विना-परिवार

उकार

गोविन्द

नि. राजा

नि. कुंज

नि. तमा

ताई पंच
देवर्षि

लोगर

लजा

ताई पंच उषे

नि. लजा

मुकेश

नि. छान्द

नारण

लजा

धारमा

केशा

प्रकारा

मोहन

नि. माण्ड

नि. शिखर

पपु

नि. कच्छ

श्रीवा जी

जीमान लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी

लक्ष्मी लक्ष्मी (लक्ष्मी)

विषय - वन क्षेत्र में - अभिमत औद्योगिक जलसंधारण
विद्यमान है एफ. आर. ए. उमाव - पत्र जारी
कारण के कारण है।

प्रसंग - जीमान के आदेश क्रमांक : बालासोर/जीमान/लक्ष्मी/576-7
दिनांक 11/5/2024 के फ.

महोदय जी,

उपरोक्त विषयवस्तु पर आपका पत्र प्राप्त हो चुका है।
परामर्श हेतु संबंधित अधिकारियों के पास प्रेषित है।
आपका पत्र प्राप्त हो चुका है।
आदेश केवल विद्यमान है एफ. आर. ए. उमाव पत्र जारी
है।
आदेश विद्यमान है जीमान की वीजा में है।

प्रमाणित
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी

क्रमांक:- FP/RJ/OFC/45721/2020

दिनांक: 14/3/2023

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road)
District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020
Applied Area:- 0.1325 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

गवदीय

Shukla

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited



C.S.

सुनील कुमार (पा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 56.262= 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road)
District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020
Applied Area:- 0.1325 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Shukla

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited



C.S.

सुनील कुमार (भा.व.सै.)
उप वन सहायक
प्राणमगढ़ (राज.)

क्रमांक:- FP/RJ/OFC/45721/2020

दिनांक:- 14/03/2023

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road)
District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020
Applied Area:- 0.1325 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Shukla

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited



C.S.

सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक:- FP/RJ/OFC/45721/2020

दिनांक:- 14/03/2023

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road)

District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan

Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020

Applied Area:- 0.1325 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Shukla

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited



C.S.

सुनील कुमार (भा.व.शे.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक:- FP/RJ/OFC/45721/2020

दिनांक:- 14/03/2023

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road)
District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020
Applied Area:- 0.1325 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Shukla

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited



C.S.

9
सुनील कुमार (भा.ज.सं.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक:- FP/RJ/OFC/45721/2020

दिनांक:- 14/03/2023

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan

Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020

Applied Area:- 0.1325 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Shukla

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited



S. N. K.
सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

फाइल नं:- FP/RJ/OFC/45721/2020

दिनांक:- 14/03/2023

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road)
District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020
Applied Area:- 0.1325 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Shukla

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited



C.S.
सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forst land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROw from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road)
District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020
Applied Area:- 0.1325 Ha

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S.
शुभांत कुमार (म.व.सं.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

भवदीय
Shukla
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited
Jaipur



क्रमांक:- FP/RJ/OFC/45721/2020

दिनांक:- 14/03/2023

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road)
District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020
Applied Area:- 0.1325 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-9 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (9) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Signature

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited



C.S.

सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक:- FP/RJ/OFC/45721/2020

दिनांक:- 14/03/2023

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020
Applied Area:- 0.1325 Ha

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-10 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (10) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

C.S.
सुनील कुमार (भा.व.सं.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

भवदीय
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited
Jaipur

क्र बग में रखकर लें जया
कोर्ड में आने के बाद
क करेगी। पड़ताल की
से होता है।

स ने तीनों आरोपियों की जमानत
जी को खारिज कर दिया।

यह था मामला : परिवादी नीरज
प्रिया ने शिकायत में बताया था कि
ने वर्ष 2007 में भुवाणा क्षेत्र में
हजार वर्ग फीट का भूखंड खरीदा
। इसके एक हिस्से को उसके भाई
लेश ने अपनी पत्नी लवलीना को
स्ट कर दिया। वर्ष 2019 में नीलेश
मृत्यु हो गई इसके बाद लवलीना
भूखंड को बेचने का दबाव बनाने
। उसे बताया गया कि 5 करोड़
ए में भूखंड का बेचान करना है।

गया। परिवाद में बताया कि सुखर
थाने में दर्ज मामले को लेकर सब
इंस्पेक्टर रोशनलाल ने परिवादी को
आरपीएस जितेंद्र आंचलिया से
मिलने के लिए कहा। आंचलिया ने
परिवादी नीरज को गैर जमानती धाराओं
में एफआईआर दर्ज होने का हवाला
देते हुए डराया। आंचलिया ने दबाव

अपनी ही जमानत खरोदने के लिए
परिवादी को 1 करोड़ 83 लाख
रुपए चुकाने पड़े थे। रुपए देने के
बाद यह तय हुआ था कि मामले में
एफआर लगा दी जाएगी, लेकिन
एफआर लगाने के लिए सब इंस्पेक्टर
रोशनलाल ने 2 लाख रुपए की मांग
कर दी थी।

गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत

ब्यूरो नवज्योति/उदयपुर। शहर के सुखर थाना क्षेत्र में पानी के गड्ढे
में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार नवरत्न कॉम्पलेक्स
में एक कॉम्पलेक्स का काम चल रहा है। यहां पर पानी का एक गड्ढा बना
रखा है। जिसमें डूबने से डेढ़ साल की शिवानी पुत्री हरसिंह भील निवासी
धरड़ी धार एमपी गिर गई, जिससे वह डूब गई। इस पर वहां खेल रहे बच्चे
चिल्लाने लगे तो परिजन भाग कर आए और बच्ची को बाहर निकालकर
चिकित्सालय लेकर गए जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

पार्किंग को ग इंतजार



इर के प्रमुख सूरजपोल चौराहा
रुपए की लागत से बनकर तैयार
घाटन का इंतजार है। जानकारी
या वाहन के लिए प्रति घंटा 20
00 रुपए और मासिक किराया
मल्टीस्टोरी पार्किंग में एक साथ
की क्षमता है।



राजस्थान सरकार
वन विभाग

जयपुर दिनांक : 15.11.2021

क्रमांक: प. 1 (85) वन / 2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)

राजस्थान, जयपुर

विषय:- Diversion of 0.1325 ha. of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri - Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan (FP/RJ/OFC/45721/2020).

संदर्भ:- आपका पत्रांक एक 14 (408/37) 2020/ एफसीए/ प्रमुवस/ 2811 दिनांक 04.10.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Dinesh Engineers Ltd (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा -2 में OFC Cable Line हेतु 0.1325 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा -2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1325 ha. of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पालन सहित निम्न शर्तों के अध्वधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्थितियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। 4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/ वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/ स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। 5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/ स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। 6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/ पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/ पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। 7. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। 8. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर. ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 9. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रयोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 10. भारत सरकार के पत्रांक 7 - 23 / 2012 / एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय - (बी प्रवीण) शासन सचिव

DNU 277298

Shree Cement

श्री सीमेन्ट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: बांगड़ नगर, ब्यावर 305 901, जिला-अजमेर (राज.)
फोन: EPABX +91-1462-228101-6 | फेक्स: +91-1462-228117/119 | ईमेल: shreebwr@shreecement.com
वेब साईट: www.shreecement.com | CIN: L26943RJ1979PLC001935

नोटिस

यनी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा 110 प्रावधानों के अनुसार, एतित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग रैल्व और प्रकटसीकरण की आवश्यकता विनियम) 2015 के विनियम 44 के अनुसार मौजूदा वैधानिक संशोधनो या पुनः धेविनियम के अधीन और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार, कम्पनी विशेष व्यवसाय के संबंध में जो कि डाक मत-पत्र टिस दिनांक 4 मार्च, 2023 जिसके द्वारा सदस्यों की सहमति विशेष प्रस्ताव द्वारा मांगी जा रही है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मिल है। (रिमोट ई-वोटिंग)

यनी ने शुक्रवार, 10 मार्च, 2023 को पोस्टल बैलेट नोटिस के साथ पोस्टल बैलेट फार्म को कम्पनी के उन सभी सदस्यों को जिनका प सदस्यों के रजिस्टर / डिपॉजिटरी के रिकार्ड में शुक्रवार, 3 मार्च, 2023 (कट ऑफ डेट) को दर्ज है:-

को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिये भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते पंजीकृत है (अन्यथा जिन्होंने भौतिक प्रति के लिए अनुरोध नहीं किया है), और

को भौतिक माध्यम से प्री-पेड सेल्फ एड्रेस लिफाफे के साथ उनके द्वारा पंजीकृत पते पर भेज दिया गया है जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं है, तथा जिन्होंने भौतिक प्रतिलिपियों के लिए अनुरोध किया है।

क मत-पत्र का उक्त नोटिस कम्पनी की वेब साईट www.shreecement.com और लिंक इनटाईम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड ('लिंक टाईम') की वेब साइट <https://instavote.linkintime.co.in> पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को डाक मत-पत्र नहीं मिला है।

BANK LTD.
Complex, Bandra (E), Mumbai- 400 051
4th K G Marg, New Delhi-110001

**NO RECONSTRUCTION OF
INTEREST ACT, 2002**

Garantors, who have availed loan
g its branch office at 7th Floor,
to repay the loan facility wide EMI
it their loan accounts has been
ia. The Borrowers have provided
are described herein below. The
Borrowers to KMBL as on date are

are hereby informed that the
or has initiated action against the
ions of the Securitization and
erest Act, 2002 (the SARFAESI
acted against their names within
more of the powers conferred on
SARFAESI Act, including power to take
eral is advised not to deal with

**Details of secured asset
(Immovable Property)**

Parcel of the Property Bearing
218 JAGANNATH PURI,
IPUR, RAJASTHAN - 302012.
a 222.95 Sq. Meter ("266.66 Sq.
es :-East:- Plot No. 217, West:-
Road 30'feet Wide, South :-

**Loan Account No.,
Notice Date & Amount**

No. LAP 17837023, Demand
12/2023, Outstanding Amount:
/- as on 22-02-2023

Bank Ltd., Authorised Officer



राजस्थान सरकार
वन विभाग



जयपुर दिनांक : 15.11.2021

क्रमांक: प. 1 (85) वन / 2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर

विषय:- Diversion of 0.1325 ha. of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri - Tekun Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan (FP/RJ/OFC/45721/2020).

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (408/37) 2020/ एफसीए/ प्रमुख/ 2811 दिनांक 04.10.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Dinesh Engineers Ltd (प्रयोक्ता अधिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा -2 में OFC Cable Line हेतु 0.1325 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा -2 में सामान्य स्वीकृति जाबत जारी दिशा-निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1325 ha. of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri Tekun Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। 4. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/ वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/ स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। 5. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/ स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। 6. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/ पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/ पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। 7. प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। 8. प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर. ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 9. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 10. भारत सरकार के पत्रांक 7 - 23 / 2012 / एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्त के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय - (बी प्रवीण) शासन सचिव

RBL BANK LIMITED

Registered Office: 1st Lane, Shahpuri, Kolhapur-416001
Regional Office: Office Number # 8,9,10, Ground Floor, Silver Square Mall,
Bhagwan Das Road, Near Raj Mandir Cinema, C - Scheme, Jaipur-302001

SALE NOTICE (UNDER SARFAESI ACT, 2002)

SET CHARGED TO THE BANK UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND (SARFAESI ACT) READ WITH RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("RULES")

particular to the Borrower, Guarantor (s) and Mortgagor (s) that the below described immovable properties to RBL Bank Ltd. ("Secured Creditor/Bank"), the physical possession of which has been taken by the Authorised the SARFAESI Act read with the Rules, as detailed hereunder, will be sold on "As is where is", "As is what is", for recovery of the Bank's outstanding dues plus interest as detailed hereunder under Rules 8 and 9 of the Rules by

Description of Parties, Outstanding dues and Property

Amount as per Demand Notice	Reserve Price	Date/ Time of e-Auction	Last Date for Receipt of Bids along with documents	Name of Authorised Officer/ Phone No./ Email Id
	EMD			
Date of Demand Possession Notice under SARFAESI Act	Bid Increase Amount			
22,26,309.04/- (Rupees Two Lacs Twenty Six sand Three Hundred Nine Paise Four Only) as on 15.02.22 against Demand dated 26.05.2022	Reserve Price: Rs. 16,33,361/- (Rupees Sixteen Lakh thirty three thousand Three Hundred Sixty One Only)	18.04.2023 10:30 A.M to 11:30 A.M	On or Before 17.04.2023 up to 05:00 P.M.	Mrs. Monica Gupta Contact: 9910570226 Email Id: monica.Gupta@rblbank.com Samirendu patra Contact: 8280268950 Email id: Samirendu.patra@rblbank.com
	EMD Amount: Rs. 1,63,336/- (Rupees One Lakh Sixty Three Thousand Three Hundred Thirty Six Only)			
	Bid Increase Amount: Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)			
	Date of Possession Notice- 15-02-22	Inspection Date 24-03-2023		

1. The interested bidders are advised to go through the detailed terms and conditions of auction available on the website of www.bankeauctions.com/pdf-pages/news before submitting their bids and taking part in e-auction.

2. Satisfy themselves about the Property and specification before submitting the bid.
3. Documents through Web Portal: <https://www.bankeauctions.com> (the user ID & Password can be obtained free of cost by logging in through Login ID & Password. The amount shall be payable through NEFT/ RTGS in the following Account of RBL BANK 1000139998 (IFSC Code RATN0000100), before 05:00 PM on or before 17.04.2023.

4. E-Auction from M/s. C1 India Pvt Ltd Contact No: 7291981124/25/26. Contact Person Mr. Vinod Chauhan Mob No: 98280268950
5. In relation to Property, they may contact Mrs. Monica Gupta, Authorised Officer (Mob. No. 9910570226 email: monica.gupta@rblbank.com)

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

Tele-01478-294141 E-Mail ID dcfptg123@gmail.com / dcf.pratapgh.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक / एफ 0 / तक. / उवसं / 2023 / 669
निमित्त .

दिनांक 08/12/2023

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

विषय:- : Laying of Underground OFC along the road within the existing ROW from KMS - 0/0
to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri - Tekan Road) District - Chittorgarh &
Udaipur, (Raj.). (Online proposal number - /RJ/OFC/45721/2020)

संदर्भ:- : आप कार्यालय का पत्रांक 6854-55 दिनांक 25.07.2023। (13/0)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आप द्वारा प्रस्ताव पर लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति यूजर एजेंसी द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.10.2023 (प्रति संलग्न) से प्रस्तुत कि गई है, जो श्रीमान के समक्ष उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हरिकिशन सारस्वत, I.F.S.)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

क्रमांक / एफ 0 / तक. / उवसं / 2023 /

दिनांक / / 2023

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर कि सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

Signature valid

RajKaj Ref
5108173



Digitally signed by Hari Kishan Saraswat
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.11.30 14:25:50 IST
Reason: Approved



Dinesh Engineers Limited
Infrastructure Provider (IPs)

1-14, First Floor, Mahima Trinity,
Plot No. 5, Swage Farm, New Sanganer Road
Jaipur, Rajasthan - 302 019
Tel : 022-2770 4600 / 4700
Email : admin@depl.co.in • www.depl.co.in
GST No. 08AACCD3117C174

सेवा में,

दिनांक: 25.10.2023

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ ।

विषय:- Division of 0.1325 Ha. of Forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For
Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing
Row from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri- Tekan Road)
District- Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No.:- FP/RJ/ OFC/ 45721/ 2020
Applied Area: 0.1325 Ha

संदर्भ:- आपका पत्रांक 5343 दिनांक 22.09.2023 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि-

1. गांव कचमुरा, गुजारों का गुडा, फुसरिया, गोपालपुरा, टेकण, ग्राम पंचायत बलीचा एवं ठिकिया के अधीन आते हैं। इस कारण से ग्राम पंचायत के स्तर पर वनाधिकार (F.R.A.) प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।
2. जिला स्तर की समिति की बैठक कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न प्रस्तुत है।
3. ग्राम पंचायत स्तर से (F.R.A.) प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। उक्त कारण से बलीचा के नाम का उल्लेख उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक में किया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited
Jaipur